कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया

पत्रांक– 5391/सी

दिनांक–26/03/021

सेवा में,

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
देवरिया।

विषय– जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया के अन्तर्गत ग्राम कोन्हवलिया परगना शाहजहांपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा सं0 908 में स्थित श्री चन्द्रभान तिवारी पुत्र श्री कपिलदेव तिवारी 13/242 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी, जिला देवरिया के नाम से स्थित देवरिया कसया पडरौना मार्ग (राज्य मार्ग) किमी0 15 चै0 14.03 मार्ग के दाये तरफ आउटलेट (पेंट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– मुख्य अभियन्ता गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, देवरिया का पत्रांक 2651/132 पे0प0–गो0क्षे0/2020–21 दिनांक 19.03.2021 एवं अधीक्षण अभियन्ता, देवरिया वृत्त, लो0नि0वि0, देवरिया का पत्रांक 8438/3यात–दे0वृत्त/20 दिनांक 20.03.2020 आपका पत्रांक 534/शस्त्र–2020 दिनांक 14.01.2020

दय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ (भारत सरकार का उपक्रम) गोरखपुर रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय एच.पी.सी.एल. प्रशांत टॉवर्स (भूतल) महेवा चुंगी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर के **RU/MPM/333**, दिनांक 13.01.2020 द्वारा ग्राम कोन्हवलिया परगना शाहजहांपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित गाटा सं0 908 में स्थित श्री चन्द्रभान तिवारी पुत्र श्री कपिलदेव तिवारी 13/242 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर भुजौली कालोनी, जिला देवरिया के नाम से स्थित देवरिया कसया पडरौना मार्ग (राज्य मार्ग) किमी0 15.00 चै0 14.03 मार्ग के दाये तरफ आउटलेट (पेंट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक 2651/132 पे0प0–गो0क्षे0/2020–21 दिनांक 19.03.2021 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार (पेट्रोल पम्प) की स्थापना करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है।

1– पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के शा0सं0 1882/23–12–19–1365/17 टी.सी. लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ दिनांक 04.12.2019 द्वारा जारी **"The Uttar Pradesh Guidlines for Issunig of NOC for Setting up fuel Station along UPPWD Roads 2019"** में दिए गए निर्देशों एवं चेकलिस्ट की शर्तो के अनुसार किया जायेगा।

2– प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर 300 मीटर तक कोई रोड क्रासिंग नही होनी चाहियें।

– आई0आर0सी0–12, 2009 के अनुसार मार्ग पर 300 मी0 की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट स्थापित नहीं होना चाहिए।

– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाय। प्रस्तावित निर्माण में बफर स्ट्रिप मार्ग की मध्य रेखा से 22.86 मीटर छोडकर होनी चाहिए। लो0नि0वि0 की स्थाई भूमि पर कोई भी निर्माण एंव साईन बोर्ड लगाना अनुमन्य नहीं होगा।

प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के प्रवेश एंव निकास पर सडक पर यातायात की विजिविलिटी होनी चाहिये, इसमें कोई अवरोध न हो। अन्य कोई आवश्यक बिन्दु जो स्थालीय परिस्थितियों तथा यातायात की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के वास्तविक निर्माण के पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाय।

यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो तो ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

26/8/21

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

7– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का लाइसेन्स डीड सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, एंव पार्टी द्वारा एक्जीक्यूट करा लिया जाय।

8– भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाय। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

9– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पर बफर स्ट्रिप पर ऐसा कोई साईन बोर्ड या होर्डिग न लगाया जाय, जिसमें भूमि तल से 3.00 मीटर का क्लीयरेन्स न हो।

10– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्गो पर निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साईड खन्ती में न्यूनतम 1.00 मीटर स्पान की आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण कराया जाय, ताकि पानी सुविधापूर्वक रोड साईड ड्रेन से होकर प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें।

11– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग की ढाल रिटेल आउटलेट की ओर न्यूनतम 2 प्रतिशत होगा तथा पुलिया आई0आर0सी0 एस0पी0–13, 1983 के अनुसार निर्मित की जायेगी। रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का रख–रखाव कम्पनी द्वारा स्वंय वहन किया जाएगा, परन्तु इसका स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा।

12– प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पेव्ड एरिया का लेविल सडक के पेन्टेड सतह के मध्य बिन्दु के लेबिल से कम से कम 0.30 मी0 नीचे रखा जायेगा।

13– टर्निग कर्व रेडियस 13.00 मीटर रखा जाय एंव रेडियस आफ नान टर्निग कर्व 1.500 मीटर से 3.00 मीटर के बीच रखा जाय।

14– प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष के अन्दर न होने पर एक वर्ष के बाद पुनः अनुमति लेनी पडेगी।

15– जब भी मार्ग के चौडीकरण हेतु भूमि वांछित होगी, तो चौडीकरण हेतु भूमि उपलब्ध करानी होगी और पम्प मालिक को अपने व्यय पर निर्माण हटाना होगा।

16– मार्ग पर किसी प्रकार का स्पीड ब्रेकर न बनाया जाय, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।

17– पेट्रोल उत्पाद के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण पर्यावरण/प्रदुषण विभाग के अधिनियमों एंव अर्हताओं की जानकारी कर जान–माल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसका उत्तरदायित्व पम्प मालिक का होगा।

उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न किये जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा और इसके लिए विभाग के विरूद्ध किसी प्रकार का क्लेम मान्य नही होगा।

संलग्न– 1– मानचित्र एक प्रति में।
2– चेक लिस्ट एक प्रति में।
3– लाइसेन्स डीड मूल में।

(कमल किशोर)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया

पत्रांक– दिनांक–

1– प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (तृतीय), निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया को सूचनार्थ प्रेषित।

3/8/21

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया

GATA NO.	908
VILLAGE	KONHWALIYA
PARGANA	SHAHJAHANPUR
TEHSIL	DEORIA
NEAREST POLICE STN.	TARKULWA
NEAREST RLY. STN.	DEORIA
DISTRICT	DEORIA
PIN CODE	274408
STATE	UTTAR PRADESH
LATITUDE	26°35'30.3" N
LONGITUDE	83°51'25.7" E

GROUND FLOOR (5.00X 7.77M)

TYPE	SIZE IN mm
DEALER ROOM	3600X2310
SAMPLE ROOM	1200X2310
ELEC.ROOM	2500X2310
LUBE ROOM	2500X2040
CHANGING ROOM	1200X2040
LADIES AND LADIES PHE TOILET	1600X2310
GENTS AND GENTS PHE TOILET	1900X2040

जनपद देवरिया में निर्माण खण्ड लो०नि०वि० देवरिया के अन्तर्गत ग्राम कोन्हवलिया परगना शाहजहाँपुर जिला देवरिया में स्थित गाटा सं०-908 पर स्थित श्री ... प्रभात तिवारी पुत्र श्री कपिलदेव तिवारी के नाम से देवरिया कसया पडरौना मार्ग (राज्य मार्ग 79) के किमी 15 के चेनेज (400) मार्ग के दायें तरफ स्थित आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न नियम/शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

1. पेट्रोल पम्प का निर्माण प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन-1884/23-12-19/1305/प्र०नि०अनु-12 लखनऊ दिनांक 4.12.2019 द्वारा जारी "the Uttar Pradesh Guideline for Issuing of NOC for setting up fuel station along UPPWD Roads 2019" में दिये गये निर्देशों व चेक लिस्ट की शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर 300m तक कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।
3. IRC ... के अनुसार मार्ग पर 300m की दूरी तक कोई अन्य रिटेल आउटलेट नहीं होना चाहिए।
4. प्रस्तावित आउटलेट निर्माण कार्य मार्ग के मध्य से बफर स्ट्रिप की दूरी 7.5 मीटर छोड़कर होना चाहिए।
5. प्रस्तावित आउटलेट का निर्माण मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर होगा तथा निर्माण सामग्री ... सीमा में न रखी जाये।
6. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट निर्माण कार्य के प्रवेश व निकासी पर सड़क यातायात की निर्विघ्नता होनी चाहिए व उसमें कोई अवरोध न हो।
7. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय में कोई विवाद विचाराधीन होगा ऐसी दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जायेगा।
8. भूमि के स्वामित्व का सत्यापन राजस्व विभाग से करा लिया जाये।
9. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग का निर्माण की जाने वाली प्रक्रिया SP-13 IRC के अनुसार निर्मित किया जायेगा।
10. निर्माण पश्चात ज्वलनशील ... के कारण पर्यावरण प्रदूषण व अग्निशमन विभाग के अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वयं लेना होगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
देवरिया

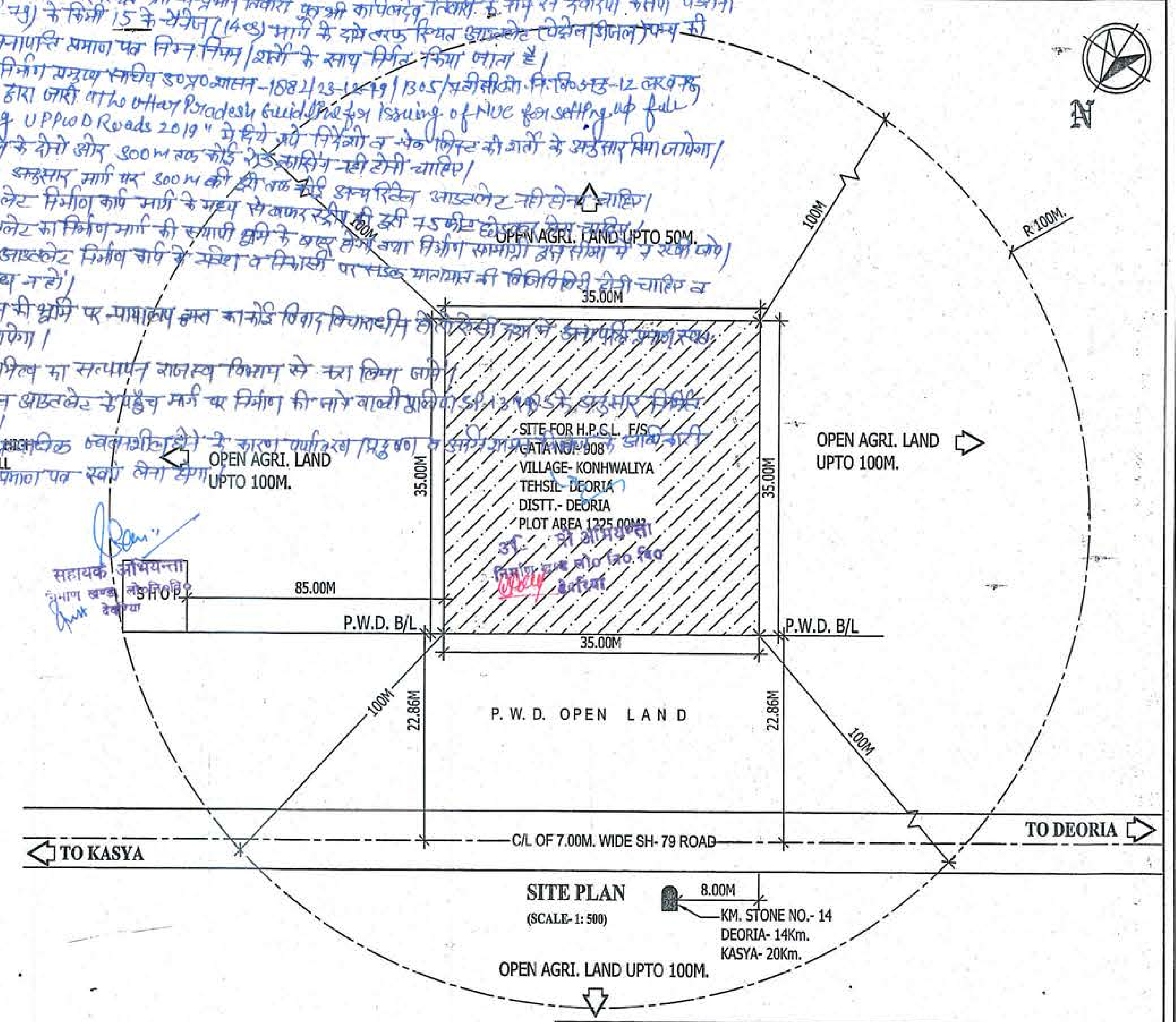

SITE PLAN
(SCALE- 1:500)

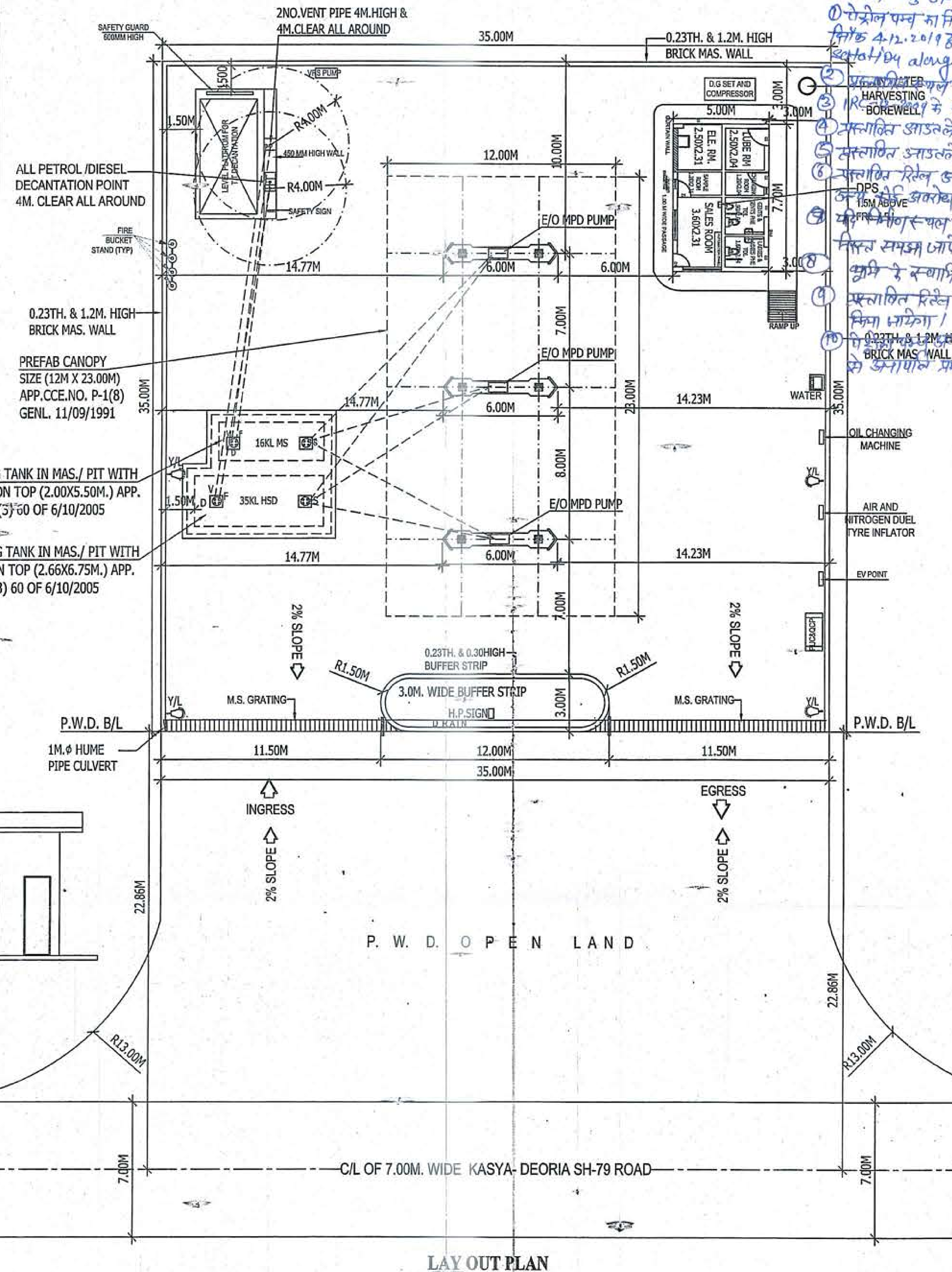

LAY OUT PLAN
(SCALE- 1:200)

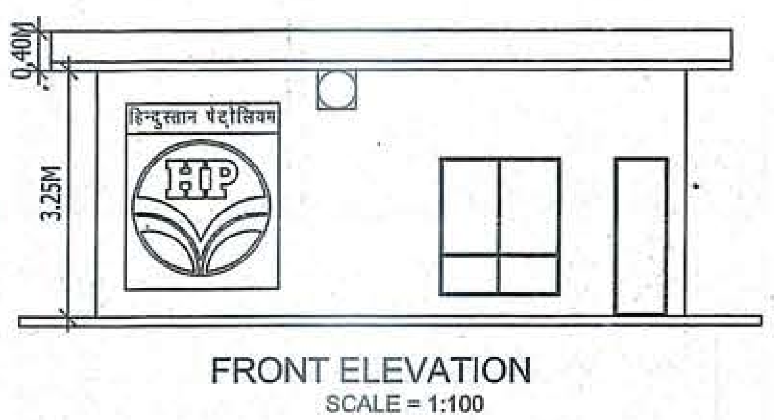

FRONT ELEVATION
SCALE = 1:100

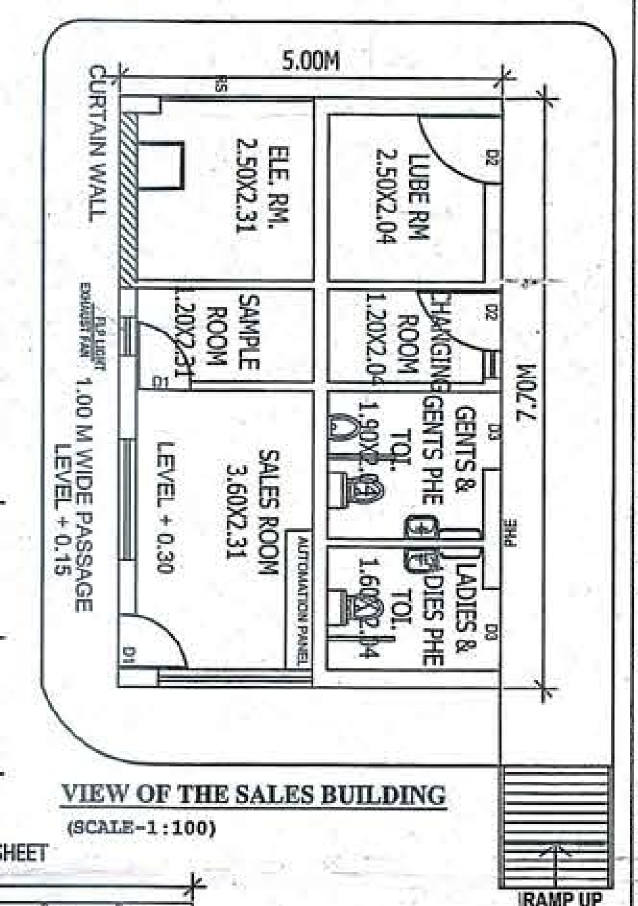

VIEW OF THE SALES BUILDING
(SCALE-1:100)

NOTE-1

1. NO OTHER STRUCTURE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITHOUT PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. THE BERM PORTION IS NOT INCLUDED IN THE AREA TO LEASED FROM P.W.D.FOR APPROACH ROAD BUT TO BE MEDALLED BY THE COMPANY.
3. SUCTION PIPE UNDER DRIVE WAY TO BE HOUSE IN PIPE SLEEVE FILLED WITH SAND.
4. BOTH THE TANK ARE NOT TO BE REPLENISHED AT THE SANE TIME.
5. 37MM AIR VENT PIPE 4.0M HIGH FROM G.L. ON ITS ENDS TWO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM IS TO BE PROVIDED.
6. ALL ELECTRICAL FITTING CONFORM TO I.S.: 2148.FOR DISPENSING UNITS.
7. TANKS TO BE FED BY TANK LORRY ONLY.
8. D.P.S.BOARD 1.5M FROM G.L.& NOT BE KEPT UNDER LOCK & KEY.
9. NO SMOKING SIGN IS TO BE DISPLAYED PROMINENTLY.
10. ALL STRUCTURE ON GOVT.LAND SHALL BE TEMPORARY.
11. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS STATED OTHER WISE.
12. 4 NOS FIRE-EXTINGUISHERS DRY-CHEMICAL TYPE ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
13. 8 NOS FIRE-BUCKET FILLED WITH SAND ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
14. FILL POINTS 4.0M CLEAR ALL AROUND.
15. VENT PIPE SHALL BE 4.0M HIGH & 4.0M CLEAR ALL AROUND.
16. VEVT HOOD FITTED WITH TO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM.
17. APPROACHES SHOULD HAVE MIN. PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB WBM GR OF 75MM BM EACH,50MM BM AND 25MM SDC
18. NO CASE AGAINST THE LAND IS PENDING IN ANY COURT.
19. THE TANK ARE FABRICATED AS PER IS: 10987 OF 1992 (RE- AFFIRMED IN 1998).
20. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING THROUGH THE PREMISES.
21. TANKS KERB WALL 0.25M.THICK & 0.30M. HIGH FROM FLOOR LEVEL PROVIDED TO THE EARTH BURIED.
22. FLAMMABLE FLEX BOARD HOARDING SHOULD NOT BE USED.

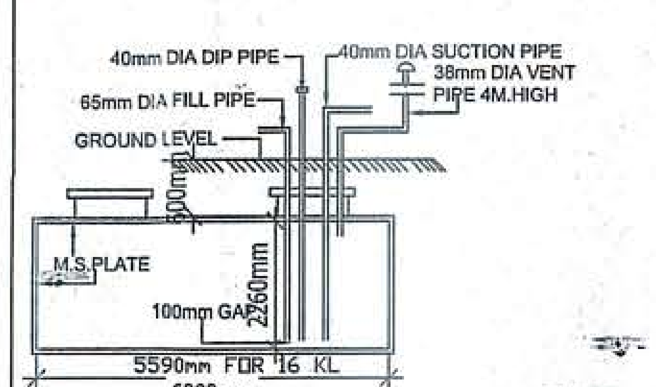

DETAILS OF U/G TANK
(CAPACITY:22KL & 16KL) (N.T.S.)

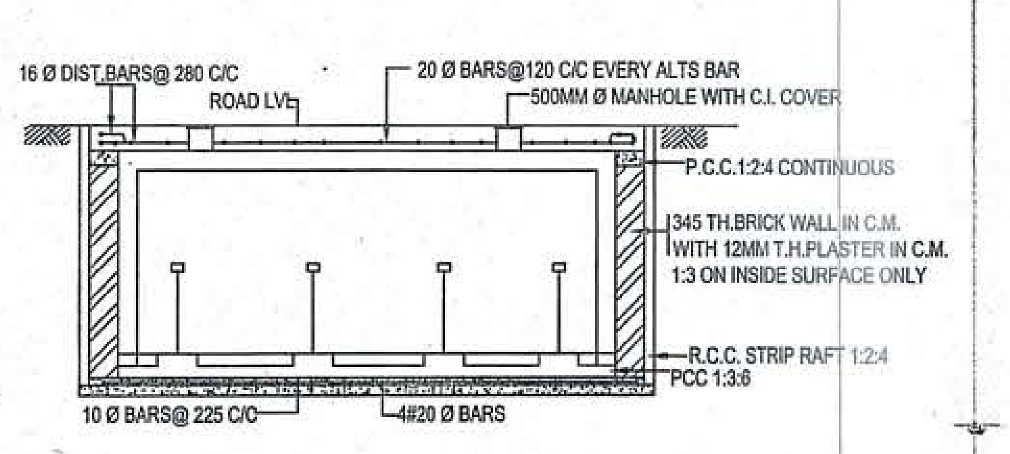

TANK INSTALLATION SECTION ELEVATION ALONG LENGTH
APP.CCE.NO.P-6(3)60 OF 6/10/2005 SCALE-N.T.S

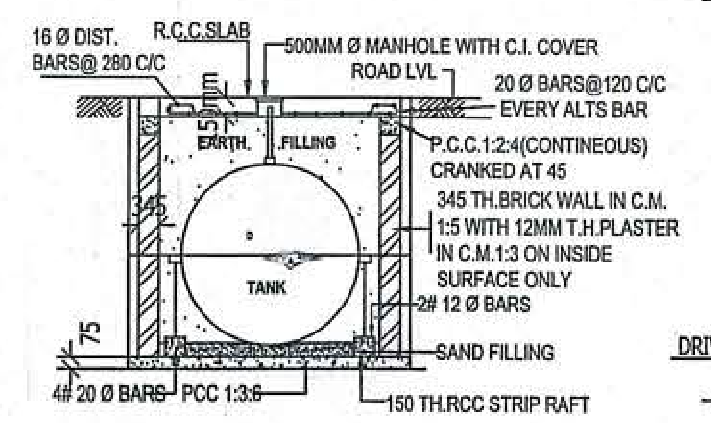

TANK INSTALLATION SECTION ELEVATION ALONG DIAMETER
APP.CCE.NO.P-6(3)60 OF 6/10/2005
SCALE-N.T.S

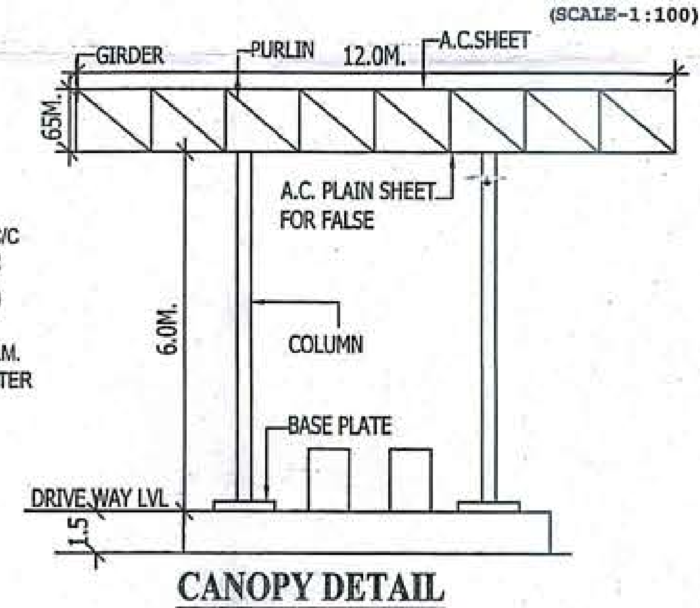

CANOPY DETAIL
AS PER IS:2062 GR A, IS:800, IS:1786.
APP.CCE.NO. P-1(8) GENL. 11/09/1991
(N.T.S.)

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.

PRASHANT TOWERS (GROUND FLOOR), MAHEWA CHUNGI,TRANSPORT NAGAR, GORAKHPUR- 273016

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF FILLING STATION AT GATA NO.- 908 VILLAGE- KONHWALIYA PARGANA- SHAHJAHANPUR, TEHSIL- DEORIA ON KASYA- DEORIA SH- 79 ROAD DISTT. - DEORIA U.P.

SCALE: AS SHOWN	CHECKED/ APPROVED BY:-	DRG.NO. HPC/GKP/2019/ 038	L.NO. A/P/CC/UP/14/
DRAWN BY:-	Ashish Kumar Sharma Duly Constituted Attorney Hindustan Petroleum Corporation Limited	Sanjay Kumar DGM-R... Gorakhpur Retail Region	DATE: 23/08/2019
Design Consultants INDIRA NAGAR, LUCKNOW			SERIAL NO.- 333
			REVISION: